7:04
30252-the-wto...
cdn.visionias.in
1 / 15

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

क्विक रीविजन मॉड्यूल (यू.पी.एस.सी. प्रीलिम्स 2024)

अर्थशास्त्र

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) ऐसा एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का संचालन करता है। इसके केंद्र में विश्व व्यापार संगठन के समझौते हैं जिन पर विश्व के अधिकांश व्यापारिक देशों द्वारा बातचीत और हस्ताक्षर किए गए हैं तथा उनकी संसदों में अभिपुष्टि की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार यथासंभव सुचारु, पूर्वानुमेय और स्वतंत्र रूप से संचालित हो।

WTO

संबंधित तथ्य

- स्थानः जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- स्थापितः 1 जनवरी 1995
- उद्भवः उरुग्वे दौर की वार्ता (1986–94) द्वारा
- सदस्यताः 164 सदस्य, जो वैश्विक व्यापार के 98 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं
- बजटः 197 मिलियन स्विस फ्रैंक (वर्ष 2020 के लिए)
- सचिवालय कर्मचारीः 623
- महानिदेशकः एन्गोज़ी ओकोंजो-इवेला

FACT

- कार्यः
  - विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौतों को प्रशासित करना
  - व्यापार वार्ताओं के लिए मंच प्रदान करना
  - व्यापार विवादों का निपटारा करना
  - राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करना
  - विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना
  - अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य और पर्यवेक्षक

7:04
30252-the-wto...
cdn.visionias.in

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य और पर्यवेक्षक

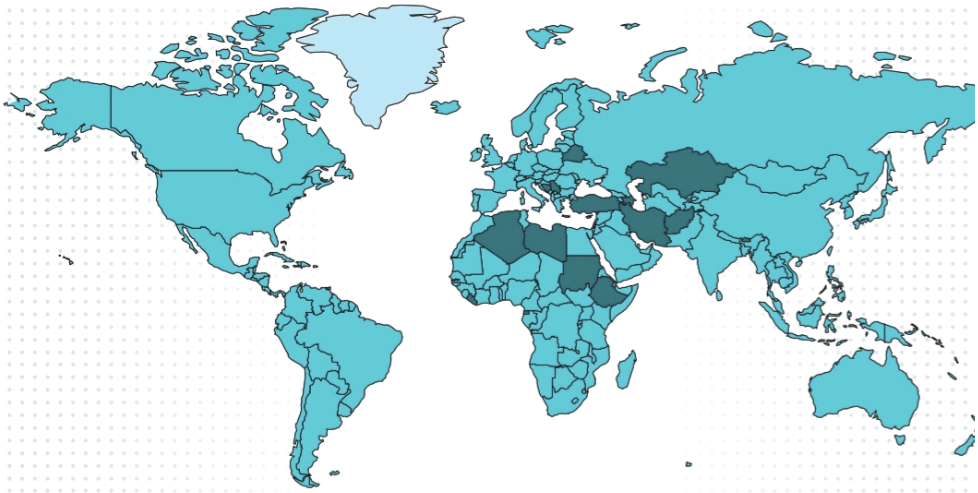

विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य हैं, जिनका वैश्विक व्यापार में 98% हिस्सा है। कुल 25 देश सदस्यता के लिए वार्ता कर रहे हैं।

विश्व व्यापार संगठन का विकास

1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में सबसे बड़ा सुधार था। इसकी स्थापना से 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाने का असफल प्रयास भी, एक अद्यतन रूप में, साकार हो गया।

कई वर्षों से, GATT द्वारा बहुपक्षीय प्रणाली को सुदृढ़ और विस्तारित करने के विभिन्न प्रयत्नों और प्रयासों के परिणामस्वरूप उरुग्वे दौर की वार्ता संपन्न हुई जिसकी परिणति मारकेश घोषणा और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के रूप में देखी जा सकती है। (WTO के विकास से संबंधित निम्नलिखित समय-रेखा का संदर्भ लें।)

गैट (GATT) के वर्ष

	1947 GATT	1960-61 डिलन दौर	1964-67 कैनेडी दौर	1973-79 टोक्यो दौर	1986-94 उरुग्वे दौर	1995 WTO
सदस्य देशों की संख्या	23	26	62	102	123	(मारकेश घोषणा-पत्र)
शामिल किए गए विषय	प्रशुल्क		प्रशुल्क और एंटी-डंपिंग उपाय	प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क उपाय "फ्रेमवर्क	संक्रमण कालीन चरण; प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क उपाय, सेवाएं, बौद्धिक	

7:05
30252-the-wto...
cdn.visionias.in

विश्व व्यापार संगठन का सचिवालय

- जेनेवा में स्थित विश्व व्यापार संगठन के सचिवालय का प्रमुख एक महानिदेशक होता है।

  नोटः सचिवालय स्वयं निर्णय-निर्माण करने वाले निकाय की भूमिका नहीं निभाता है।
- सचिवालय के मुख्य कार्य विभिन्न परिषदों / समितियों / मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों / विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, विश्व व्यापार की निगरानी और विश्लेषण करना आदि हैं।

सदस्यता प्राप्ति

विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के लिए किसी देश की सरकार को अपनी आर्थिक और व्यापार नीतियों को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप बनाना होता है और विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता हेतु प्रवेश की अपनी शर्तों पर वार्ता करनी होती है।

विश्व व्यापार संगठन में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया

विश्व व्यापार संगठन सदस्य-संचालित तथा सर्वसम्मति आधारित एक संगठन है। विश्व व्यापार संगठन में सभी प्रमुख निर्णय इसके सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। हालांकि विश्व व्यापार संगठन में बहुमत आधारित मतदान की व्यवस्था भी है लेकिन इसका उपयोग कभी नहीं किया गया। विश्व व्यापार संगठन के समझौतों की सभी सदस्य देशों की संसदों द्वारा अभिपुष्टि की गई है।

WTO

उच्चतम प्राधिकारी	द्वितीय स्तर	तृतीय स्तर	चतुर्थ स्तर
प्रथम स्तर – मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference): मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है, जिसे प्रत्येक दो वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करना होता है।	द्वितीय स्तर – सामान्य परिषदः मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों के बीच दिन-प्रतिदिन का कार्य निम्नलिखित तीन निकायों द्वारा संभाला जाता है: – सामान्य परिषद – विवाद निपटान निकाय – व्यापार नीति समीक्षा निकाय	तृतीय स्तरः व्यापार के प्रत्येक व्यापक क्षेत्र के लिए परिषदें (प्रत्येक परिषद व्यापार के एक भिन्न व्यापक क्षेत्र को संभालती है तथा सामान्य परिषद को रिपोर्ट करती है): – वस्तु व्यापार परिषद (गुड्स काउंसिल) – सेवाओं में व्यापार के लिए परिषद (सर्विस काउंसिल) – बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी परिषद (TRIPS परिषद)	चतुर्थ स्तर– सहायक निकायः प्रत्येक उच्च परिषद (जैसे वस्तु परिषद(सेवा परिषद आदि) के सहायक निकाय होते हैं जो विभिन्न मुद्दों से संबंधित कार्य करते है जैसे – कृषि, बाजार तक पहुंच, सब्सिडी, एंटी-डंपिंग उपाय, इत्यादि।

नोटः सामान्य परिषद की बैठक व्यापार नीति समीक्षा निकाय और विवाद निपटान निकाय के रूप में होती है।

7:05
30252-the-wto...
cdn.visionias.in

नोट: सामान्य परिषद की बैठक व्यापार नीति समीक्षा निकाय और विवाद निपटान निकाय के रूप में होती है।

आधारभूत सिद्धांत

व्यापार प्रणाली के सिद्धांत

- बिना भेदभाव के व्यापार: मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट का प्रावधान।
- विकास और आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करना, अल्पविकसित देशों के लिए अधिक लाभदायक – समायोजित होने के लिए उन्हें अधिक समय देना, अधिक लचीलापन और विशेष विशेषाधिकार की व्यवस्था।
- निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना: निर्यात सब्सिडी और डंपिंग उत्पादों आदि जैसी "अनुचित" प्रथाओं को हतोत्साहित करना।
- पूर्वानुमेयता: बाध्यकारी और पारदर्शिता के माध्यम से।
- मुक्त व्यापार: चरणबद्ध वार्ता के माध्यम से ("प्रगतिशील उदारीकरण"के द्वारा प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करना)।

मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)

विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के उत्पादों के लिए गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार का प्रावधान है। लेकिन MFN के इन प्रावधानों के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे FTA के तहत अनुमत विशेष अपवाद, विकासशील देशों के लिए विशेष पहुंच, अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा आदि।

नेशनल ट्रीटमेंट (राष्ट्रीय व्यवहार)

यह आयातित और घरेलू उत्पादों के बीच गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार को संदर्भित करता है।

नोट: नेशनल ट्रीटमेंट केवल तभी लागू होता है जब कोई उत्पाद, सेवा या बौद्धिक संपदा की कोई वस्तु बाजार में प्रवेश कर जाती है। इसलिए, किसी आयात पर सीमा शुल्क लगाना नेशनल ट्रीटमेंट का उल्लंघन नहीं है।

7:05
30252-the-wto...
cdn.visionias.in

नोटः नेशनल ट्रीटमेंट केवल तभी लागू होता है जब कोई उत्पाद, सेवा या बौद्धिक संपदा की कोई वस्तु बाजार में प्रवेश कर जाती है। इसलिए, किसी आयात पर सीमा शुल्क लगाना नेशनल ट्रीटमेंट का उल्लंघन नहीं है।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की समयरेखा

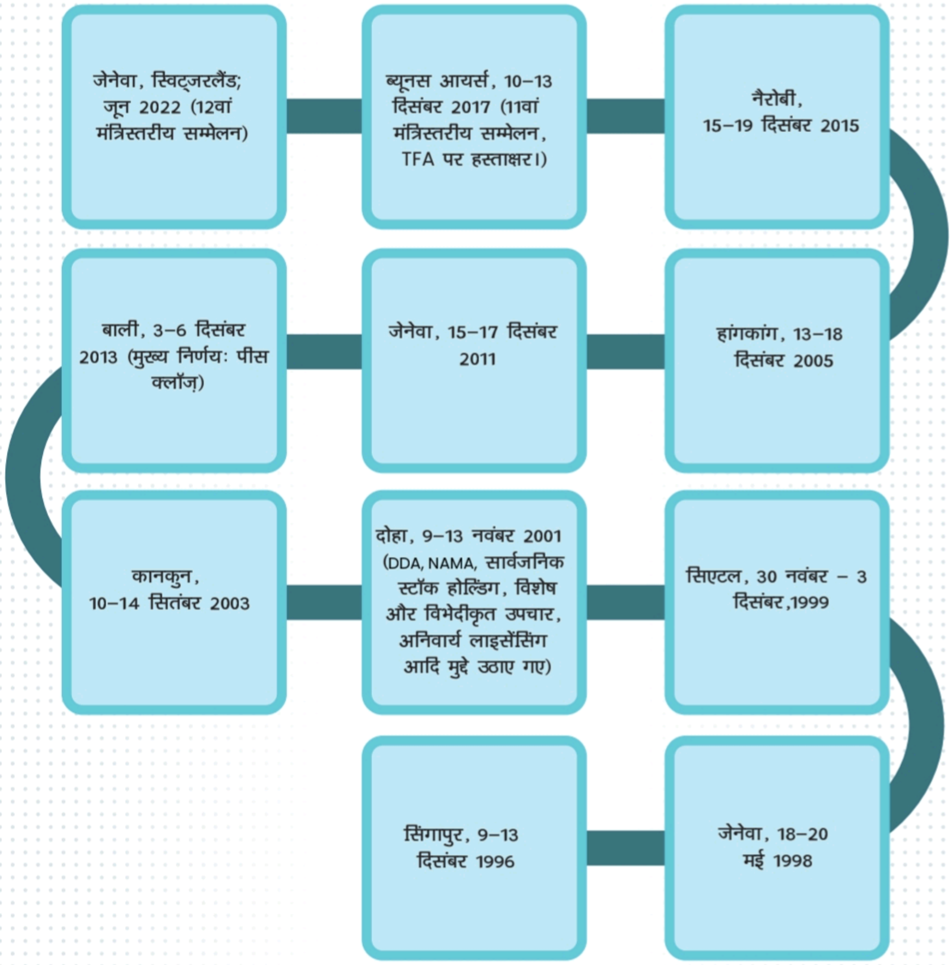

अन्य संबंधित तथ्य

नोटः WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) 12–15 जून 2022 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा (पहले यह 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के बीच होना था, लेकिन कोविड-19 के ओमिक्रॉन उपभेद के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया था)। इससे पहले, MC12 मूल रूप से कजाकिस्तान की राजधानी नूर-सुल्तान में 8 से 11 जून 2020 को प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

7:05

30252-the-wto...
cdn.visionias.in

दोहा विकास एजेंडा

विभिन्न मुद्दों पर सदस्यों के बीच मतभेदों के कारण वर्ष 2001 में शुरू हुई दोहा दौर की व्यापार वार्ता अभी अधूरी है (इनमें से कुछ मुद्दे नीचे दर्शाए गए हैं)।

DOHA DEVELOPMENT AGENDA

दोहा गतिरोध – The Doha Deadlock

- **G20 (भारत और ब्राज़ील सहित)** ↔ दोहा गतिरोध: औद्योगिक उत्पाद और सेवाओं के लिए अधिक बाजार पहुंच
- दोहा गतिरोध → **EU**:
  - कृषि प्रशुल्क में कमी
- दोहा गतिरोध → **US**:
  - घरेलू कृषि सब्सिडी में भारी कटौती
  - EU बाजार तक पहुंच को कम स्वीकार करना

व्यापार सुविधा समझौता (TFA) क्या है?

TFA एक समझौता है जो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं की आवाजाही, पारगमन, निर्मुक्ति और निकासी (क्लीयरेंस) में तेजी लाने के लिए है। TFA को लागू करने के लिए WTO के दो तिहाई सदस्यों (110 सदस्यों) द्वारा इसकी अभिपुष्टि करना आवश्यक था। 22 फरवरी 2017 को दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अभिपुष्टि की आवश्यकता पूर्ण (112 सदस्य) हो गई।

TFA की पृष्ठभूमि

- नौकरशाही अक्षमता और लालफीताशाही
- व्यापार के लिए अनावश्यक लागत और देरी
- व्यापार की उच्च लागत
- वैश्विक व्यापार की वृद्धि पर प्रतिबंध

गैर कृषि बाजार तक पहुंच (Non-Agricultural Market Access: NAMA)

NAMA (गैर-कृषि बाजार तक पहुंच) उन सभी उत्पादों को संदर्भित करता है जो कृषि समझौते में शामिल नहीं किए गए हैं। इन उत्पादों को कभी-कभी औद्योगिक उत्पादों या विनिर्मित वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह दोहा विकास दौर में विश्व व्यापार संगठन की वार्ता का हिस्सा है। इसका उद्देश्य प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क दोनों बाधाओं को कम करना है।

प्रमुख समझौते

विश्व व्यापार संगठन लगभग 60 विभिन्न समझौतों का नियमन करता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक प्रलेख का दर्जा प्राप्त है। इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण समझौते इस प्रकार हैं:

7:05

30252-the-wto...
cdn.visionias.in

प्रमुख समझौते

विश्व व्यापार संगठन लगभग 60 विभिन्न समझौतों का नियमन करता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक प्रलेख का दर्जा प्राप्त है। इसमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण समझौते इस प्रकार हैं:

जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT)

यह समझौता वस्तुओं के व्यापार से जुड़े अवरोध को कम करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत जिन विशिष्ट क्षेत्रों या मुद्दों से निपटा जाता है उनमें से कुछ हैं: कृषि, कृषि उत्पादों के लिए स्वास्थ्य नियम (SPS) कपड़ा और क्लोथिंग, उत्पाद मानक (TBT), निवेश उपाय, डंपिंग रोधी उपाय, सीमा शुल्क मूल्यांकन के तरीके, उत्पत्ति का नियम, आयात लाइसेंस, सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय आदि।

GATT के तहत अपवाद और छूट:

GATT ने माना कि कुछ एसी परिस्थितियां हैं जिनमें इन सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना अनुचित होगा।

सामान्य अपवाद	उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु "आवश्यक" माने जाने वाले उपाय, बशर्ते उनका अनुप्रयोग मनमाना या अनुचित भेदभाव उत्पन्न न करता हो।
कस्टम यूनियन और मुक्त व्यापार समझौते	जो देश एक दूसरे के लिए एक कस्टम यूनियन या RTA के भीतर अधिक अनुकूल व्यवहार की पेशकश करते हैं, उन्हें MFN क्लॉज का पूर्ण पालन करने से छूट प्रदान की गई है।
अन्य	इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा या भुगतान संतुलन की समस्या से संबंधित अपवाद शामिल हैं; छूट जैसे – विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा दी गई अनुमतियां जो किसी अन्य सदस्य को WTO की सामान्य प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करने की अनुमति प्रदान करती हैं।

2. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (GATS)

GATS अनिवार्य रूप से उन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित था जिनसे वस्तु व्यापार में इसका समकक्ष, अर्थात GATT प्रेरित था। विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं संबंधी वार्ताएं तथाकथित सकारात्मक सूची का अनुसरण करती है। पश्चिमी राष्ट्र सकारात्मक सूची के दृष्टिकोण से नकारात्मक सूची के दृष्टिकोण की ओर बढ़ने पर बल दे रहे हैं। भारत इस अवधारणा के खिलाफ है क्योंकि यह भारत के लगभग संपूर्ण सेवा क्षेत्रक को पश्चिमी बहुराष्ट्रीय दिग्गजों के लिए खोल देगा। GATS के तहत सेवाओं संबंधी वार्ताओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, विभिन्न देशों के हित इस वर्गीकरण पर निर्भर करते हैं –

देश A

देश B

मोड 1 : सीमा-पार आपूर्ति

7:05
30252-the-wto...
cdn.visionias.in

संबंधी वार्ताओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, विभिन्न देशों के हित इस वर्गीकरण पर निर्भर करते हैं –

General Agreement on Trade in Services

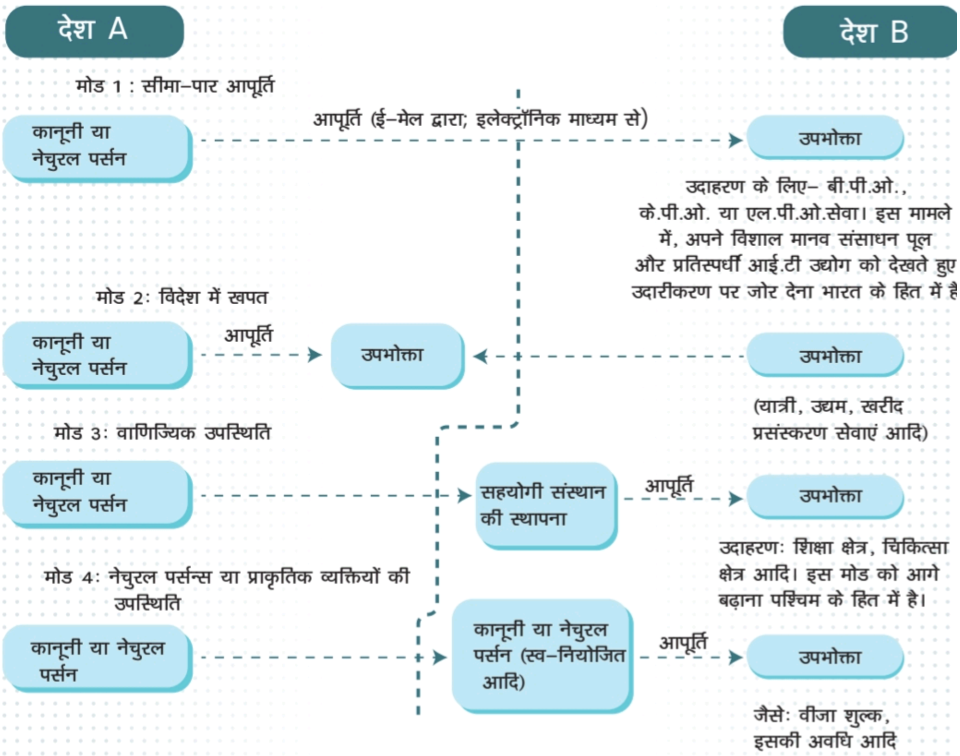

3. बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार–संबंधी पहलू (TRIPS)

ट्रिप्स समझौता ज्ञान और रचनात्मकता में व्यापार को सुविधाजनक बनाने में तथा बौद्धिक संपदा संबंधी व्यापार विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बौद्धिक संपदा के दो अलग–अलग रूप हैं:

(A) साहित्यिक और कलात्मक कृतियां

(B) औद्योगिक संपत्ति

(ट्रिप्स में ऐसी आवश्यकताएं शामिल हैं जिन्हें सदस्य देशों द्वारा कानूनों के माध्यम से पूर्ण किया जाना चाहिए यथा कॉपीराइट अधिकार; व्युत्पत्ति संबंधी अपीलों सहित भौगोलिक संकेतक; औद्योगिक डिजाइन; एकीकृत परिपथों के अभिविन्यास–डिजाइन; पेटेंट; नई पादप किस्मों के विकासकर्ताओं के लिए एकाधिकार; ट्रेडमार्क; ट्रेड ड्रेस; और अघोषित या गोपनीय जानकारी आदि)

4. व्यापार से संबंधित निवेश उपाय (TRIMS)

व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर समझौते (TRIM) में कहा गया है कि WTO के सदस्य किसी भी ऐसे उपाय को लागू नहीं कर सकते हैं जो विदेशी उत्पादों के खिलाफ भेदभाव करता हो या मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू करने का प्रयास करता हो, ये दोनों विश्व व्यापार संगठन के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन हैं, उदाहरण के लिए, स्थानीय सामग्री की आवश्यकताएं।

5. कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture: AoA)

कृषि समझौता इस क्षेत्र में व्यापार में सुधार करने और नीतियों को अधिक बाजारोन्मुख बनाने के लिए है। यह समझौता सरकारों को अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन अधिमानतः ऐसी नीतियों के माध्यम से जो व्यापार को न्यूनतम विकृत करती हों।

7:05
30252-the-wto...
cdn.visionias.in

को लागू करने का प्रयास करता हो, ये दोनों विश्व व्यापार संगठन के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन हैं, उदाहरण के लिए, स्थानीय सामग्री की आवश्यकताएं।

5. कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture: AoA)

कृषि समझौता इस क्षेत्र में व्यापार में सुधार करने और नीतियों को अधिक बाजारोन्मुख बनाने के लिए है। यह समझौता सरकारों को अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन अधिमानतः ऐसी नीतियों के माध्यम से जो व्यापार को न्यूनतम विकृत करती हों। यह प्रतिबद्धताओं को क्रियान्वित करने के तरीके में कुछ लचीलेपन की भी अनुमति प्रदान करता है।

गैर–प्रशुल्क उपाय (NTMS)

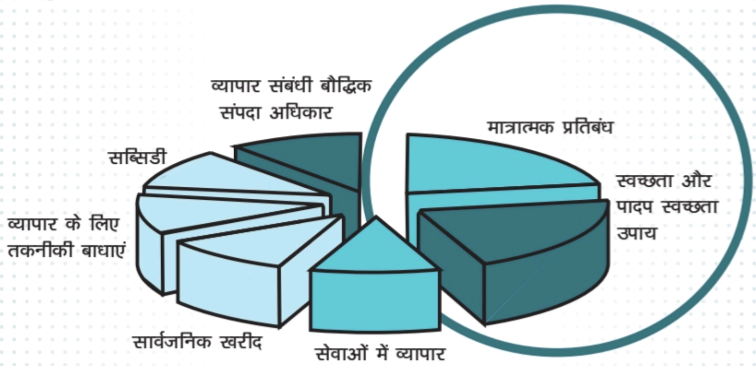

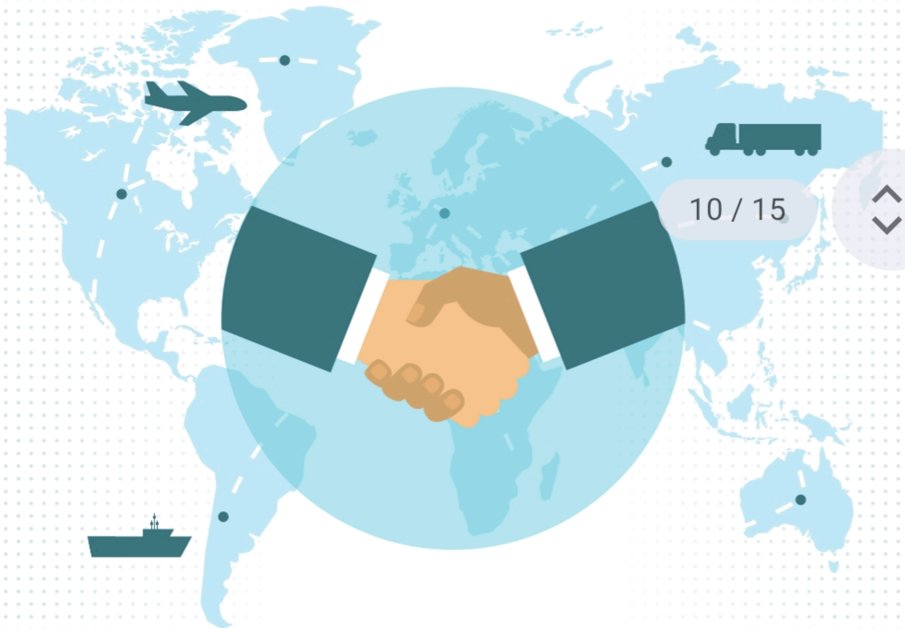

कृषि पर समझौते के तीन "स्तंभ"

10 / 15

7:06

30252-the-wto...
cdn.visionias.in

कृषि पर समझौते के तीन "स्तंभ"

कृषि पर समझौता (AOA)

बाजार तक पहुंच
अनुच्छेद 4, 5 और अनुलग्नक 5

- प्रशुल्क:
  - प्रशुल्क निर्धारण
  - कटौती संबंधी प्रतिबद्धताएं
- टैरिफ दर कोटा
- विशिष्ट रक्षोपाय

अधिकांश मामलों में सुस्पष्ट गैर-प्रशुल्क बाधाओं को हटा दिया गया है।

घरेलू समर्थन
अनुच्छेद 3, 6, 7 और अनुलग्नक 2, 3, 4

- ग्रीन बॉक्स
- ब्लू बॉक्स
- डेवलपमेंट बॉक्स
- एम्बर बॉक्स
  - डी मिनिमिस
  - प्रतिबद्धताएं

निर्यात प्रतिस्पर्धा
अनुच्छेद 3 और 8-11

- निर्यात सब्सिडी
- परिवंचन-रोधी
  - खाद्य सहायता
  - निर्यात ऋण

सस्ते उत्पादों की डंपिंग इसका परिणाम हो सकती है। इससे बचने के लिए SSM, SP आदि जैसे सुरक्षा उपायों को लागू किया जा सकता है।

घरेलू समर्थन की श्रेणियां

कटौती से छूट

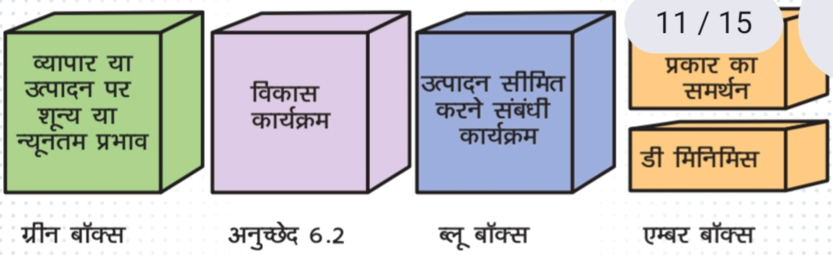

11 / 15

6.व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं पर समझौता (TBT)

6.व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं पर समझौता (TBT)

यद्यपि देशों के उन मानकों को अपनाने के अधिकारों को मान्यता दी गई है जिन्हें वे उपयुक्त समझते हैं तथापि यह समझौता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विनियम, मानक, परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाएं अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न न करें।

व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं पर समझौता

यह सभी वस्तुओं पर लागू होता हैं;
- –तकनीकी विनियमन (अनिवार्य)
- –मानक (स्वैच्छिक)
- –अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रिया

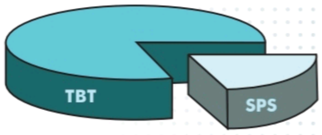

नोटः इसके प्रावधान स्वच्छता या पादप स्वच्छता (SPS) उपायों पर लागू नहीं होते हैं।

विश्व व्यापार संगठन TBT समझौता

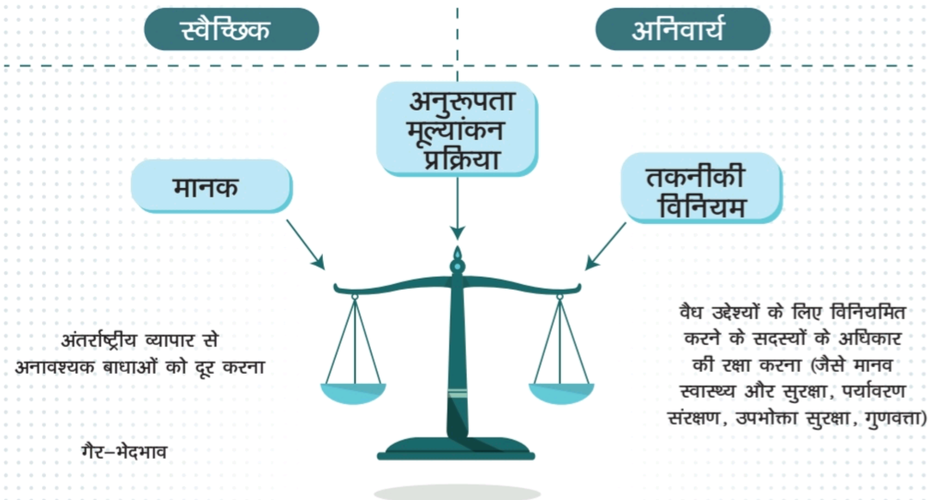

7. स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों पर समझौता (SPS)

यह समझौता 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना के साथ लाग[illegible] की दूसरी सरकार से अंत:क्रिया है और केवल उन सरकारी उपायों पर लागू होता है जो [illegible]को कर सकते हैं। यह खाद्य सुरक्षा और पशु व पादप स्वास्थ्य नियमों के उपयोग से संबंधित है।

आर्थिक एकीकरण

आर्थिक एकीकरण राष्ट्रों के बीच एक व्यवस्था है जिसमें सामान्यतः व्यापार बाधाओं में कमी या उन्मूलन और मौद्रिक

7:06
30252-the-wto...
cdn.visionias.in

की दूसरी सरकार से अंतःक्रिया है और केवल उन सरकारी उपायों पर लागू होता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। यह खाद्य सुरक्षा और पशु व पादप स्वास्थ्य नियमों के उपयोग से संबंधित है।

आर्थिक एकीकरण

आर्थिक एकीकरण राष्ट्रों के बीच एक व्यवस्था है जिसमें सामान्यतः व्यापार बाधाओं में कमी या उन्मूलन और मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का समन्वय शामिल है।

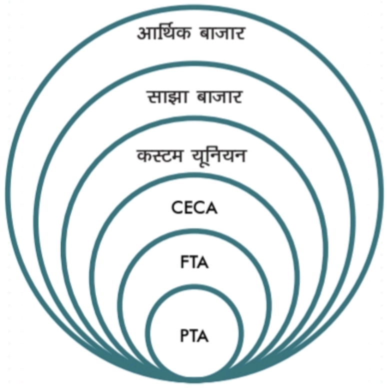

इस क्षेत्र के विशेषज्ञ आर्थिक एकीकरण के सात चरणों को परिभाषित करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।

1. अधिमानी व्यापार समझौता (PTA)

यह एक व्यापारिक ब्लॉक होता है जो प्रतिभागी देशों के कुछ उत्पादों को अधिमानी पहुंच प्रदान करता है। इसके लिए प्रशुल्कों को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाता बल्कि उन्हें कम किया जाता है। PTA एक व्यापार समझौते के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। यह आर्थिक एकीकरण का प्रथम चरण है जहां उत्पादों की एक सकारात्मक सूची बनाई जाती है तत्पश्चात उन पर शुल्क कम किया जाता है।

कुछ उदाहरण:
- एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता (APTA): यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) की एक पहल है।
- भारत-मर्कोसुर अधिमानी व्यापार समझौता (PTA)

2. मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

मुक्त व्यापार समझौता एक व्यापार ब्लॉक है जो देशों के बीच व्यापार की जाने वाली अधिकांश (यदि सभी नहीं) वस्तुओं और सेवाओं पर प्रशुल्क, आयात कोटा और वरीयता को समाप्त करता है। इस प्रकार, इसके अंतर्गत उन वस्तुओं की एक नकारात्मक सूची होती है जिन पर शुल्क कम नहीं किया जाता है, उदाहरण:
- साप्टा (SAPTA) से साफ्टा (SAFTA) का विकास (दक्षिण एशियाई PTA से FTA) और;
- आसियान FTA (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के मध्य व्यापार समझौता)

3. व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)

7:06

30252-the-wto...
cdn.visionias.in

2. मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

मुक्त व्यापार समझौता एक व्यापार ब्लॉक है जो देशों के बीच व्यापार की जाने वाली अधिकांश (यदि सभी नहीं) वस्तुओं और सेवाओं पर प्रशुल्क, आयात कोटा और वरीयता को समाप्त करता है। इस प्रकार, इसके अंतर्गत उन वस्तुओं की एक नकारात्मक सूची होती है जिन पर शुल्क कम नहीं किया जाता है, उदाहरण:

- साप्टा (SAPTA) से साफ्टा (SAFTA) का विकास (दक्षिण एशियाई PTA से FTA) और;
- आसियान FTA (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के मध्य व्यापार समझौता)

3. व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)

जब देश FTA से आगे बढ़ जाते हैं तथा और अधिक आर्थिक एकीकरण के लिए सहमत होते हैं, जिसमें पूंजी और मानव संसाधनों के आकर्षण में सुधार करना तथा व्यापार एवं निवेश का विस्तार करना शामिल होता है, तो इस एकीकरण का परिणाम CECA या CEPA के रूप में सामने आता है।

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) का दायरा व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) की तुलना में थोड़ा व्यापक होता है क्योंकि इसमें सेवाओं में व्यापार के साथ ही निवेश भी शामिल होता है।

4. कस्टम यूनियन

यह देशों के बीच आपस में मुक्त व्यापार करने और इन देशों को निर्यात करने में रुचि रखने वाले किसी अन्य देश के विरुद्ध सामान्य बाहरी बाधाओं को अपनाने के लिए एक समझौता है। इसके कुछ उदाहरण हैं:

- दक्षिणी साझा बाजार – मर्कोसुर
- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
- पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC)

5. साझा बाजार (कॉमन मार्केट)

- यह एक प्रकार का कस्टम यूनियन हैं जहां उत्पाद विनियमन पर साझी नीतियां होती हैं और वस्तुओं एवं सेवाओं तथा पूंजी एवं श्रम की मुक्त आवाजाही होती है।

6. आर्थिक संघ (इकोनॉमिक यूनियन)

- आर्थिक संघ एक प्रकार का व्यापार ब्लॉक है जो कस्टम यूनियन सहित एक साझा बाजार से मिलकर बना होता है। इसके तहत भागीदार देशों के मध्य उत्पाद विनियमन पर साझी नीतियां तथा वस्तुओं, सेवाओं एवं उत्पादन के कारकों (पूंजी और श्रम) की मुक्त आवाजाही, ये दोनों होते हैं, साथ ही उनकी एक सामान्य बाह्य व्यापार नीति होती है।

7. मौद्रिक संघ (मॉनेटरी यूनियन)

- जब एक आर्थिक संघ मुद्रा को भी एकीकृत कर लेता है तो यह एक आर्थिक और मौद्रिक संघ बन जाता है। उदाहरण के लिए – यूरो।

7:06
30252-the-wto...
cdn.visionias.in

लिए – पूरा।

भारत और मुक्त व्यापार समझौते (India And FTAs)

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के समझौतों के तहत बहुपक्षवाद के प्रति भारत की लंबे समय से प्रतिबद्धता रही है लेकिन वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप भारत ने FTA का उपयोग अपने व्यापार और विदेश नीति के प्रमुख घटक के रूप में किया है।
- अब तक, भारत ने मुख्य रूप से अन्य एशियाई देशों के साथ साझेदारी करने पर ध्यान केंद्रित किया है, और साथ ही सेवाओं की तुलना में वस्तुओं को अधिक प्राथमिकता प्रदान की है (जैसे: श्रीलंका, अफगानिस्तान, थाईलैंड, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, कोरिया, मलेशिया और जापान और क्षेत्रीय व्यापार समझौते साफ्टा और आसियान)।
- एशिया के बाहर भारत ने चिली और मर्कोसुर देशों के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्पेगटी–बाउल प्रभाव / नूडल बाउल प्रभाव की अवधारणा

इस अवधारणा को विश्व के अग्रणी व्यापार अर्थशास्त्री प्रोफेसर जगदीश भगवती ने प्रतिपादित किया था। उनका तर्क है कि अपनी अलग–अलग टैरिफ दरों, नियमों, प्रक्रियाओं आदि के साथ इतने अधिक FTAs के कारण जटिलता और भेदभावपूर्ण व्यापार नीति की स्थिति उत्पन्न होती हैं और इसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार भागीदारों के मध्य प्रायः विरोधाभासी परिणाम सामने आते हैं।

मेगा–क्षेत्रवाद

कुछ समय पहले तक FTAs पर मुख्य रूप से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय रूप से हस्ताक्षर किए जाते थे, लेकिन हाल ही में PTA मेगा–क्षेत्रीय समझौतों के रूप में होने लगे हैं जिसमें विश्व की GDP और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। उदाहरण: TPP, TTIP (EU और USA के बीच ट्रांस–अटलांटिक व्यापार और निवेश साझेदारी)।

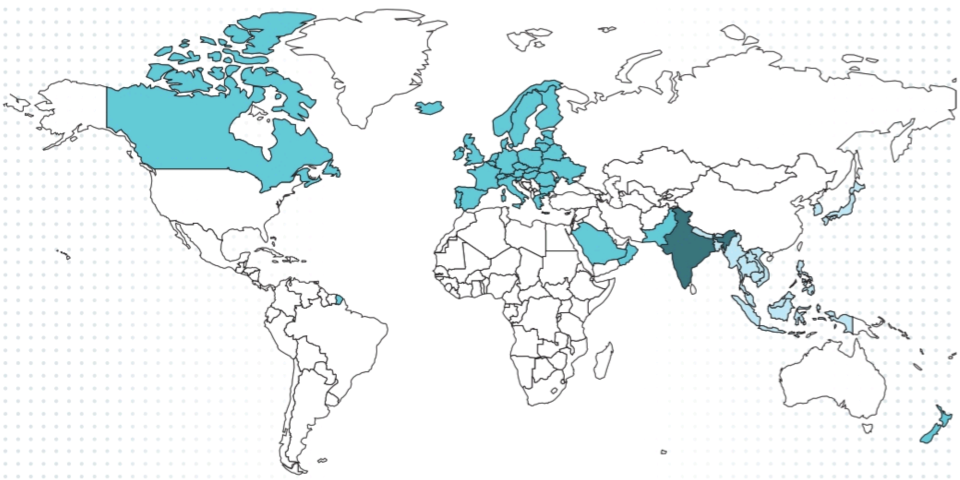

India
Current Bilateral/Multilateral FTA's
Proposed/Suspended Bilateral/Multilateral FTA's